

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 03, गुरुवार, शाके 1948-अप्रैल 23, 2026 Vaisakha 03, Thursday, Saka 1948- April 23, 2026	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि.)अजमेर
अधिसूचना
अजमेर , अप्रैल 15, 2026

D. 88: भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीय अधि. 13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4(जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना सं. एफ.15 (4) ऊर्जा/2017 एवं 2024 क्रमशः दिनांक 03.10.17 एवं 05.11.2024 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 एवं 08.11.2024 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं. नि.) राराविप्रनिलि, अजमेर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयंत्रों को खड़ा करने के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट ऑफ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी बिजली की आपूर्ति हेतु 132 के वि गिड सब स्टेशन केलवाड़ा हेतु पूर्व निर्मित 132 के वि कांकरोली-सापोल लाइन (220 के वि गिड सब स्टेशन बामन टुकड़ा हेतु) के लीलो बिंदु से 132 के वि दिवपरिपथिय लाइन के निर्माण कार्य हेतु मार्ग-अधिकार (Right of Way) की उपयुक्त मंजूरी जारी करते हैं। उक्त लाइन निम्नलिखित गांवों की सीमा/राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी।

क्र. सं.	गांवों के नाम	क्र. सं.	गांवों के नाम	क्र. सं.	गांवों के नाम
1	केलवाड़ा	08	गजपुर	15	मादड़ी (गोवलिया)
2	मजेरा	09	थोरीया	16	उमरियों की भागल
3	ओलादर	10	सापोल	17	खारण्डीया
4	बलवास	11	बागोटा	18	बोराजकाखेड़ा
5	बड़गांव	12	भुडान	19	पसुन्द
6	खेड़लीया	13	कडेचो का गुडा	20	किरणपुर
7	बारीण्ड	14	पुठोल	21	किशनपुरा

लखपत लाल मीणा,

सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि.), अजमेर।